कार्यवाही

8/9/25

अमुक पक्ष उपस्थित / अभिभाषक ... न्यायिक कार्य उपस्थित रहा / ... अन्य प्रशासनिक कार्य ... में व्यस्त है। ...
पत्रावली अत आदेशानुसार दि. 15/10/25 को पेश हो।

15/10/25
(रीडर)

15/10/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। अनुपस्थिति की तलबी हेतु प्रार्थी ... पेश करें। तलबी जारी होकर पत्रावली दि. 1/12/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
... (जिला-जयपुर) राज

1/12/25

अमुक पक्ष उपस्थित / अभिभाषक ... न्यायिक कार्य स्थगित रहा / PO साहब
अन्य प्रशासनिक कार्य ... है।
पत्रावली अत आदेशानुसार दि. 16/1/26 को पेश हो।
(रीडर)

11/12/25 प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना अस्वीकृत निवेदन प्रार्थना मिसल तलब की जाकर विड्रो किये जाने बाबत पेश कर प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में आगामी पेशी 16/1/2026 नियत है। प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त प्रकरण में आगे नहीं चलाना चाहता है एवं प्रकरण को इसी स्टेज पर विड्रा करना चाहता है। प्रार्थी ने प्रार्थना बाबत विड्रो स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी को सुना गया। मिसल तारीख पेशी से तलब की गई। चूंकि प्रार्थी स्वयं प्रार्थना पत्र विड्रो करना चाहता है एवं प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत विड्रो न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाता है एवं पत्रावली विड्रो की जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नंबर ... रजिस्टर बाद ... हो।

A.C.& E.M.(F.T.)

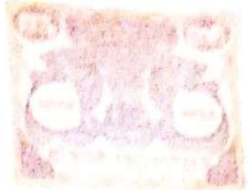

# न्यायालय माननीय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 71 /2025

मकबूल खान पुत्र श्री मोहरू खान जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 23, 1384, तोपचीवाडा मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

.........प्रार्थी

बनाम

1. मन्नालाल गुर्जर पुत्र श्री कानाराम
2. श्रीराम पुत्र हनुमान सहाय
3. मंगलाराम पुत्र महादेव (फौत)

3/1. अनिता पुत्री मंगलाराम

3/2. मालीराम पुत्र मंगलाराम

3/3. केसर देवी पत्नी मंगलाराम

4. मन्ना लाल पुत्र कानाराम
5. मालीराम पुत्र बोदूराम
6. महेन्द्र पुत्र कल्लाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मनोहरपुर तहसील मनोहरपुर जिला जयपुर राज. शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज
8. उपपंजीयक शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

..................अप्रार्थीगण

9. जमीना पुत्री स्व. मोहरू खा
10. बबन पुत्री स्व. मोहरू खा
11. बाबूँ खा पुत्र स्व. मोहरू खा
12. रशीद खाँ पुत्र स्व. मोहरू खा
13. मरियम पुत्री स्व. मोहरू खा
14. हनीफा पत्नी यामीन खाँ
15. हनीफ खाँ पुत्र यामीन खाँ

श्रीमान जी

1) प्रश्नगत आराजी [illegible]

है [illegible] में दर्ज है

2) उक्त कोई [illegible] नहीं किया है

3) [illegible] नहीं है

[signature]
8/8/25

श्रीमान तहसीलदार महोदय

Record एवं मौके की

यथास्थिति कायम

रखें।

[signature]

8/8/25

16. हाजरा पुत्री यामीन खॉ
17. हनीशा पुत्री यामीन खॉ
18. अब्दुल हकीद पुत्र यामीन खॉ
19. जमीन पुत्र यामीन खॉ
20. नफीसा पुत्री यामीन खॉ
21. अनीस पुत्र यामीन खॉ
22. रूबीना पुत्री यामीन खॉ

समस्त जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 23, 1384 तोपचिवाडा मनोहरपुर जयपुर।

———तरतीबी अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एंव धारा 151 सी0 पी0 सी0**

महोदय जी,

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत हैं :–

1. यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा में उक्त उनवानी दावा बाबत् घोषणा खातेदारी हक हकूक व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जो ठोस, सारवान तथ्यों एंव प्रलेखीय साक्ष्यों पर आधारित होनें से प्रार्थी को उक्त वाद में सफलता मिलनें की पूर्ण आशा है।
2. यह कि राजस्व ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 7536 रकबा 0.3500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 7543/8384 रकबा 0.7100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 7563 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5800 हैक्टेयर प्रार्थीगण के पिता मोहरू पुत्र फौजू खॉ के नाम दर्ज व अंकित थी।
3. यह कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित भूमि को प्रार्थना पत्र के आगे के मदो में वादअधीन भूमि से सम्बोधित किया गया हैं।

4. यह कि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है प्रार्थी के पिता मोहरू पुत्र फौजू खाँ की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि पर वो बदस्तुर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे एवं जरिये विरासत नामान्तकरण मोहरू के विधिक वारिसान के नाम दर्ज व अंकित किया गया।

5. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 7536 रकबा 0.3500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 7563 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.8700 हैक्टेयर जरिये विक्रय पत्र दिनांक 28/2/2000 को क्रय कर ली थी। परन्तु विक्रय पत्र के आधार पर उनके नाम भूमि दर्ज नही हुई हैं। जिसके संबंध में बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये तहसीलदार द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश दिये जबकि वादअधीन भूमि पर प्रार्थी व तरतीबी पक्षकार बदस्तुर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं।

6. यह कि वादअधीन भूमि का जो नुमाईशी विक्रय पत्र हुआ था उसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने प्रार्थी के पिता को कोई प्रतिफल राशि अदा नही की थी जिस कारण उक्त भूमि पर बदस्तुर मोहरू पुत्र फौजू खॉ काबिज काश्त रहे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान भूमि पर काश्त करते आ रहे थे। मोहरू खॉ की मृत्यु दिनांक ..................... ... को हो गई। उसके उपरान्त उनकी विरासत का नामान्तकरण मोहरू खॉ के विधिक वारिसान के नाम दर्ज अंकित किया गया एवं आज भी बदस्तुर मोहरू खॉ के विधिक वारिसान भूमि पर बदस्तुर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु बिना किसी हक व अधिकार के भूमि के नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र के 25 वर्ष पश्चात तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही की गई है वो विधि सम्मत नही थी, ना ही प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूमि का बैचान कभी किया गया था जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा उनके जीवनकाल में कभी भी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही नही की एवं अब भूमि को

हड़प करने की गरज से तहसीलदार के समक्ष धारा 135(2) एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही कर भूमि को अपने नाम दर्ज करा ली। ऐसे में प्रार्थी को लाजमी हुआ कि उक्त विधि विधान के विरूद्ध फिसकल प्रोसिडिंग के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करायें।

7. यह कि वादअधीन भूमि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसका बैचान कभी भी उनके पिता द्वारा नही किया गया है ना ही उनके पिता के जीवनकाल में कभी भी किसी के द्वारा भूमि क्रय करने के संबंध में कोई चाराजोही एवं अधिकार प्रदर्श किये थे परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात एवं विरासत का नामानतकरण दर्ज होने के पश्चात जो समस्त कार्यवाही की गई है वो केवल मात्र नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर की गई है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही होते हैं। ऐसे में प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी अपने वैधानिक अधिकारों के संबंध में घोषणा का वाद प्रस्तुत करें।

8. यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 द्वारा वादअधीन भूमि के संबधं में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को एलानियां धमकी दी कि वो वादअधीन भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर चुके है एवं तहसीलदार से दिनांक 18/1/2018 को धारा 135(2) के तहत नामान्तकरण दर्ज कराने का आदेश प्राप्त कर चुके हैं अब वो उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा ले अन्यथा वो उन्हें भूमि से बेदखल कर भूमि को विक्रय–हस्तान्तरण करेगें। इस संबंध में दिनॉक 16–07–2025 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने प्रार्थी को एलानियॉ धमकी दी है। जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है।

यह कि चूँकि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 अपनी गैर कानूनी हरकतो
र अडिग है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को यह विधिक अधिकार हासिल है कि
ह विवादित भूमि में अपने पिता मोहरू खॉ पुत्र फौजू के नाम दर्ज भूमि
की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा कर अपने पैतृक व

पुश्तैनी खातेदारी अधिकारों को सुरक्षित कर लें। ऐसी स्थिति में प्रार्थी घोषणात्मक डिक्री विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में उल्लेखित राजस्व ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बरान् में अपने पिता मोहरू पुत्र फौजू खॉं के नाम दर्ज भूमि को पुनः प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज व अंकित कराने एवं प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से की भूमि का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावें।

10. यह कि विवादित भूमि पर प्रार्थी जब से कुछ कृषि कार्य करने के काबिल हुये है तब से निरन्तर काश्त करके अपनी आजीविका चला आ रहा है परन्तु चूँकि अप्रार्थीगण अपनी बैजा हरकतों से बाज नहीं आ रहें है और प्रार्थी को निरन्तर एलानियॉं धमकी दे रहें है कि वे प्रार्थी को बाहुबल के आधार पर विवादित भूमि से बेदखल करेगें और विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करेगें जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है इसके विपरीत प्रार्थी को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दें कि, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में उल्लेखित ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बरान् में भूमि में प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट उत्पन्न करने से निषेद्ध रखें तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखें और विवादित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी भी अजनबी व्यक्ति, संस्था, निकाय, ट्रस्ट इत्यादि को विक्रय–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि

करने एंव किसी अन्य को आम व खास मुख्त्यार नियुक्त करने से निषेध रहें तथा अप्रार्थीगण संख्या 8 विवादित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा निष्पादित एंव हस्ताक्षरित किसी भी प्रकार के लेख्य पत्र, हस्तान्तरण पत्र को तस्दीक करने से निषेध रहें तथा अप्रार्थीगण संख्या 7 विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में कोई नया अमल दरामद नही करें। अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति कायम रखें।

11. यह कि चूँकि अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से बाज नहीं आ रहें है इसलिये प्रार्थी को अपने पैतृक व पुश्तैनी अधिकारों की सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय हाजा में यह दावा प्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पडा है और चूँकि विवादित भूमि में प्रार्थी का पैतृक व पुश्तैनी जन्मसिद्ध अधिकार निहित है इसलिये प्रार्थी के अधिकार को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

12. यह कि बिनायदावा अन्तिम रूप से दिनॉक 16–07–2025 को तब पैदा हुआ जब अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रार्थी को विवादित भूमि से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, विवादित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को विक्रय–हस्तान्तरण इत्यादि करके खुर्द–बुर्द करके प्रार्थी को उसके निहित पैतृक व पुश्तैनी जन्मसिद्ध अधिकार से वॅचित करने की एलानियॉ धमकी दी जो निरन्तर जारी हैं।

13. यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों एंव परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण एंव तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन है।

14. यह कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वॉछित निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जानें पर अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अधीन भूमि से प्रार्थी को बाहुबल के आधार पर बेदखल करके, उस पर कच्चा–पक्का निर्माण करके योजना विकासित कर देगें और बैचान–हस्तान्तरण कर देगें,

जिससे प्रार्थी की ओर से वाद प्रस्तुतिकरण का मकसद ही समाप्त हो जायेगा, जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा और वाद बाहुलता होगी जिससे न्याय व न्यायालय का भार बढेगा, प्रार्थी को अनेको विचारण का सामना करना पडेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका द्रव्य में मुल्यांकन किया जाना असम्भव होगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि, प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में उल्लेखित कृषि भूमि वाके ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 7536 रकबा 0.3500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 7543/8384 रकबा 0.7100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 7563 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.5800 हैक्टेयर में प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग, कब्जा–काश्त में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट उत्पन्न करने से निषेद्ध रखें तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखें और विवादित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी भी अजनवी व्यक्ति, संस्था, निकाय, ट्रस्ट इत्यादि को विकय–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एंव किसी अन्य को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेद्ध रहें तथा किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करें, तथा अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति कायम रखें।

प्रार्थी

जयपुर

दिनॉक 8/8/24

जरिये अधिवक्ता